न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मुनिदेव यादव, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 03/2022 (225 आर. टी. एक्ट)
जीसीएमएस संख्या :–2022/8

उनवान

श्रीमती सरोज देवी पत्नी अनिल कुमार उम्र करीब 62 वर्ष जाति ब्राहम्ण निवासी कायस्थ पाडा बाडी तहसील बाडी जिला धौलपुर।

.....अपीलार्थीया।

बनाम

1. राजकुमार भारद्वाज उम्र करीब 65 वर्ष पुत्र स्व0 भगवानदास जाति ब्राहम्ण निवासी गांधी पाडा बाडी तहसील बाडी जिला धौलपुर।
2. कुलदीप पुत्र राजकुमार भारद्वाज उम्र करीब 40 वर्ष जाति ब्राहम्ण निवासी गॉधी पाडा बाडी तहसील बाडी जिला धौलपुर।

.....प्रत्यर्थीगण/प्रार्थीगण।

3. अनूप भारद्वाज पुत्र अनिल कुमार जाति ब्राहम्ण निवासी गांधी पाडा बाडी तहसील बाडी जिला धौलपुर।
4. रतना पुत्री अनिल कुमार पत्नी प्रमोद जाति ब्राहम्ण निवासी महामायया मन्दिर के पास धूलकोट रोड धौलपुर तहसील व जिला धौलपुर।
5. पूनम पुत्री अनिल कुमार पत्नी सुन्दर जाति ब्राहम्ण निवासी टाउन चौकी के पास पुराना शहर धौलपुर तहसील व जिला धौलपुर।
6. संध्या पुत्री अनिल कुमार पत्नी सौनू शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी विजय शर्मा के क्लीनिक के पास घण्टाघर रोड धौलपुर तहसील व जिला धौलपुर।
7. प्रीति पुत्री अनिल कुमार पत्नी शंकरलाल शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी रिंगसा अर्पाटमेंट एफ 40 मकान नम्बर 201 नन्दन नगरी कृष्णा कालोनी जयपुर।
8. विष्णुदत्त पुत्र स्व0 भगवानदास जाति ब्राहम्ण निवासी गांधी पाडा बाडी तहसील बाडी जिला धौलपुर।
9. सत्यदेव पुत्र स्व0 भगवानदास जाति ब्राहम्ण निवासी प्रेम भगवान टावर भारद्वाज मार्केट बाडी तहसील बाडी जिला धौलपुर।

..... प्रत्यर्थीगण अपीलार्थीगण।

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 29.09.2021 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाडी उनवानी राजकुमार बनाम सरोज मु0न0 50/2020

उपस्थितिः–

1. वकील अपीलांट श्री सुरेन्द्र कुमार दुबे उपस्थित।
2. वकील रैस्पोडेण्ट श्री हर्ष भारद्वाज उपस्थित।

भू-प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर

निर्णय

दिनांक :– 21.06.2023

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाडी के आदेश दिनांक 29.09.2021 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण/असल रैस्पो0 द्वारा मूल वाद के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध अप्रार्थी/अपीलाण्ट एवं तरतीवी रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि प्रार्थना पत्र में अंकित विवादित आराजी खसरा संख्या 2215, 2216, 2218, 2219 वाके राजस्व ग्राम वाडी नम्बर 03 के संबंध में अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जावें कि अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी संख्या 03 लगायत 9 प्रत्यर्थी संख्या 01 व 02 के कब्जे काश्त में व्यवधान नहीं करें एवं वादग्रस्त आराजी को कहीं रहन, वय, मुन्तकिल नहीं करें व मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुये दिनांक 25.09.2020 को एक पक्षीय अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गयी एवं तत्पश्चात वाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश 29.09.2021 से उक्त एक पक्षीय अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को ताफैसला मूल वाद पुष्ट कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलव किया गया। बावजूद सूचना रैस्पो0 संख्या 01 लगायत 08 अनुपस्थित रहें। अतः उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही में लायी गयी। रैस्पो0 संख्या 09 की और से श्री हर्ष भारद्वाज ने उपस्थिति पत्र प्रस्तुत किया। बहस अपीलाण्ट एंव अभिभाषक रैस्पो0 संख्या 09 सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत होने के कारण अपास्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तीनों महत्वपूर्ण बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति की कोई विवेचना अपीलाधीन आदेश में नहीं की है, जो कि आज्ञापक प्रावधान है। विवादित भूमि से संबंधित पूर्व में प्रस्तुत दावे वउनवानी सत्यदेव बनाम सोमदेव में अधीनस्थ न्यायालय से दिनांक 14.12.2012 को प्रारम्भिक डिक्री एवं दिनांक 15.01.2016 को अन्तिम डिक्री पारित हो चुकी है। अपीलाण्ट ने उक्त तथ्य को उजागर करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन वर्तमान दावे एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 में प्रार्थना पत्र आर्डर 09 रूल 7 प्रस्तुत किया गया था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र पर कोई आदेश पारित नहीं किये एवं सीधे ही अपीलाधीन आदेश से अस्थाई अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को कन्फर्म कर दिया। जबकि मूल दावे में उक्त प्रार्थना पत्र को निस्तारित करते हुये, मूल दावे की कार्यवाही को स्थगित कर दिया। दोनों ही आदेश विरोधाभाषी हैं। उपरोक्त कार्यवाहियों के अलावा रैस्पो0 संख्या 02 ने धारा 96 के तहत न्यायालय हाजा में पूर्व दावा जो दिनांक 15.01.2016 को राजीनामा के आधार पर अन्तिम डिक्री हो चुका था कि अपील वउनवानी कुलदीप बनाम सत्यदेव प्रस्तुत करते हुये, न्यायालय हाजा से विवादित आराजी बाबत् स्थगन आदेश पारित करा लिया। जिसकी अपील अपीलाण्ट द्वारा माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर की गयी, जो माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के आदेश दिनांक 15.12.2022 से खारिज फरमा दी गयी। दौराने बहस माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के निर्णय की प्रति फार्म संख्या 03 के साथ प्रस्तुत की गयी। इस प्रकार रैस्पो0 द्वारा मात्र अपीलाण्ट के नामान्तकरण की कार्यवाही को बाधित करने के उद्देश्य से उक्त कार्यवाही की जा रही हैं। अन्त में अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को अपास्त किये जाने का निवेदन किया।

भू-प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 संख्या 09 ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि विवादित आराजी को हम विक्रय कर चुके हैं। अतः हमें कोई आपत्ति नहीं है।

5. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं बहस उभयपक्ष पर मनन किया तथा अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 23.12.2020 में अंकित है कि प्रतिवादी संख्या 03 से 06 की तामील नहीं हुयी है। अतः उन्हें जरिये रजिस्टर्ड ए0डी0 तामील करायी जावें। परन्तु उक्त आदेशिका दिनांक 23.12.2020 के पश्चात् अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.09.2021 तक अधीनस्थ न्यायालय ने किसी भी आदेशिका में उक्त प्रतिवादियों की ना तो कोई तामील कराया जाना अंकित है एवं ना ही किसी भी आदेशिका में यह अंकित है कि उक्त प्रतिवादियों की तामील हो चुकी है। इसी प्रकार आदेशिका दिनांक 03.02.2021 के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र आर्डर 09 रूल 07 सीपीसी पेश किया गया है जिसका जवाब भी वादी द्वारा उसी पेशी में प्रस्तुत कर दिया है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त पेशी में प्रकरण वास्ते बहस प्रार्थना पत्र आर्डर 09 रूल 07 अग्रिम पेशी दिनांक 24.02.2021 नियत की गयी। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र पर भी कोई आदेश पारित ना करते हुये, प्रकरण में सीधे दिनांक 29.09.2021 को बहस सुनकर पूर्व में जारी एक पक्षीय अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 25.09.2020 को अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.09.2021 से कन्फर्म कर दिया, जो प्राकृतिक न्याय एवं विधि के सुस्थापित सिद्धान्तो के विपरीत है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में विवादित आराजी से संबंधित इन्हीं पक्षकारो के मध्य पूर्व में चले दावा के आदेश प्राथमिक डिक्री दिनांक 14.12.2022 एवं अन्तिम डिक्री दिनांक 15.01.2016 की प्रति उपलब्ध थी एवं इसी तथ्य को उजागर करने हेतु प्रतिवादी की ओर से वर्तमान मूल दावे एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्तकारी अधिनियम में प्रार्थना पत्र आर्डर 09 रूल 07 सीपीसी प्रस्तुत किया गया था। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्य पर विचार ना करते हुये एवं प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आर्डर 09 रूल 07 पर कोई आदेश पारित ना करनें में अहम त्रुटि की है। इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 के प्रावधान यथा प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति, तीनो महत्वपूर्ण बिन्दुओ पर कोई विश्लेषण अपीलाधीन आदेश में नहीं किया गया है। वस्तुतः अधीनस्थ न्यायालय उक्त प्रावधानो का अध्ययन करने का प्रयास ही नहीं किया तथा बिना मस्तिष्क का उपयोग किये हस्तगत आदेश पारित कर दिया, जो न्यायिक तौर पर कतई स्वीकार योग्य नहीं है। लिहाजा हम अपील अपीलाण्ट स्वीकार योग्य पाते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 25.09.2020 (अन्तरिम) एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.09.2021 निरस्त किये जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस भेजा जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 21.06.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुनीदेव यादव)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर